न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– **हेमराज गुर्जर (आरएएस)**

प्रकरण सख्याः–33/20 दायर दिनांकः– 17.07.20

संमदर पुत्र श्री होतीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम अलीपुर तहसील भुसावर भरतपुर

बनाम

1.लटूर पुत्र श्री घीसाराम जाति जाटव निवासी ग्राम अलीपुर तहसील भुसावर भरतपुर
2.श्यामसुंदर पुत्र श्री लटूर जाति जाटव निवासी ग्राम अलीपुर तहसील भुसावर भरतपुर
3.महेन्द्र सिंह पुत्र श्री लटूर जाति जाटव निवासी ग्राम अलीपुर तहसील भुसावर भरतपुर
4.दरबसिंह पुत्री होतीलाल जाति जाटव निवासी ग्राम अलीपुर तहसील भुसावर भरतपुर

—अप्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 195

उपस्थित –श्री राजू सैनी ....वादी अधिव

श्री छोटेलाल मीना प्रतिवादीगण

श्री महेश मीना प्रतिवादीगण अधि

निर्णय–दिनांक 07.09.2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 ए0 का संक्षिप्त विवरण इस प्रक प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य हैं। अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थी क तथा अप्रार्थी सं0 2 व 3 प्रार्थी के चाचा हैं। तथा अप्रार्थी सं0 4 प्रार्थी का खास भाई है। अप्राथ लटूर का मुताबिक जमाबंदी आ0 ख0 नं0 588/0.74, 589/0.89, 590/0.01, 592/0.90 कुल कुल रकबा 2.54 हैक्टेयर में हिस्सा 1 बैल एवं आराजी खसरा नम्बरान 294/0.01, 295/1.95 कु 2 कुल रकवा 1.96 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 वाके गांव अलीपुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर में जो पैतृक जायदाद है, जो विवादित है। विवादित आराजी वर्णित मद नम्बर 3 प्रा0 पत्र का काबिज काश्तकार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 का बाबा एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का पिता अप्रार्थी लटूर पुत्र घीसा है। उक्त आराजीयान पैतृक कृषि आराजीयान हैं, जो अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी स्व0 होतीलाल के बाबा स्व0 घीसाराम की मृत्यु पश्यात् विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त आराजयान में अप्रार्थी संख्या 1 के साथ–साथ प्रार्थी के पिता स्व0 श्रीहोतीलाल एवं अप्रार्थी संख्या विधिक रूप से उत्तराधिकारी होने के कारण मालिक हैं। चूंकि प्रार्थी के पिता हेातीलाल का स्वर्ग चुका है, इसलिए प्रार्थी के पिता होतीलाल के उक्त आराजी में बनने वाले समस्त कानूनी अधि हिस्सा प्रार्थी व उसके भाई अप्रार्थी संख्या 4 को वहिस्सा बराबर प्राप्त होंगे। इस प्रकार विवादित सम्पूर्ण पैतृक आराजी है, जिसमें प्रार्थी को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हैं।

प्रार्थी विवादित आराजी पर अपने मनबट से प्राप्त हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त क रहा है लेकिन प्रार्थी दिनांक 7.10.2020 को विवादित आराजी के अपने हिस्से में काश्त का कार्य था तो समस्त अप्रार्थीगण एक राय होकर काश्त करने से रोकते हुए खुलेआम काश्त न करने बावत् दी गई।

हमने प्रार्थी का प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तल्बी जरिए रा
कराई गई नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा श्री छोटेलाल मीना द्वा
गया एवं बाद में अप्रार्थीगण की ओर से श्री महेश मीना अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश वि
जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

हमने बहस अधिवक्तागण की सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना प
तथ्यों को दोहराया गया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वार अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में अंवि
दौहराया गया

हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की दलीलों व बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में प्रस्तुत द
रिकार्ड का भली–भांती अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्टाया मामला एंव सुविधा का संतु
के हक में सावित नहीं होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार है। तथा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी सुदा स्थ
07.04.22 इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 07.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायाल
गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी 7/9/
भुसावर (भरतपुर)